

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक/बोर्ड कार्मिक/बैकलॉग/सी0भ0/76-पार्ट-4/140

भोपाल, दिनांक 22/09/2015

—: आदेश :-

म0 प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा लेखापाल-तृतीय राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के पद के लिये सीधी भर्ती से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनबैड 5200-20200+ग्रेड-पे 2100/-एवं अन्य भत्तों पर नीचे उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम -1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क0	नाम	वर्ग	मेरिट कमांक	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
1	2	3	4	5
1	सुश्री सृष्टी मीना	अ0पि0व0	1	कृषि उपज मंडी समिति बैतूल जिला - बैतूल
2	श्री भोलानाथ जायसवाल	अ0पि0व0	2	कृषि उपज मंडी समिति निवाडी जिला-टीकमगढ
3	श्री देवेन्द्र कुमार यादव	अ0पि0व0	3	कृषि उपज मंडी समिति उदयपुरा जिला-रायसेन
4	सुश्री निधि मालवीय	अ0पि0व0	4	कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया जिला-भोपाल।
5	श्री राजेश मोहिया	अनु0 जाति	6	कृषि उपज मंडी समिति पचौर जिला-राजगढ
6	श्री हरीश वर्मा	अनु0 जाति	7	कृषि उपज मंडी समिति तराना जिला-उज्जैन
7	श्री सचिन अहिरवाल	अनु0 जाति	8	कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला-दमोह
8	श्री जयेश रामटेके	अनु0 जाति	10	कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा जिला-बडवानी
9	सुश्री अरुणा बागी	अनु0 जाति	11	कृषि उपज मंडी समिति भीकनगांव जिला-खरगौन
10	सुश्री रोशनी प्रजापति	अनु0 जाति	12	कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया जिला-हरदा

शर्त:-

- 01- यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 02- अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवार्यें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थित की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तथा उसे एक माह का या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।
- 03- उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त (2) के अंतर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल योग्य होगी।
- 04- उपर्युक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवार्यें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
- 05- उपरोक्त पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 21/10/2015 को आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 06- कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन कमांक/एफ-9 /3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं

- मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।
- 07- नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- 08- परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।
- 09- स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोड़ने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।
- 10- चयनित/अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण/कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- 11- चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता चयन हेतु गठित समिति की अनुसंशा अनुसार पद की निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर मेरिट क्रमानुसार ही रहेगी भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेंगे।
- 12- यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओ के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियाँ आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/सत्यापन नहीं होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।
- 13- म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ-पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
- 14- यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा विभाग राज्य मण्डी बोर्ड सेवा अथवा पुलिस को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- 15- भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहना होगा।
- 16- समय-समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तों संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होंगे।
- 17- बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।
- 18- विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।



(अरुण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
03. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
04. उपसंचालक/कार्यपालयंत्री/सहायक यंत्री/सहायक संचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
05. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट/पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
06. कार्यालय संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, रीवा/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/उज्जैन/भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अभ्यर्थी के सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख तैयार करें/संधारित करें।
07. सहायक लेखाधिकारी ((लेखा/आडिट/पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
08. अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
09. श्री/श्रीमति/कुमारी
-
-
- 11- आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गोपनीय चरित्रावली शाखा/लेखा शाखा/मंडी कार्मिक/कम्प्यूटर शाखा/शाखा, एवं अन्य शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल